भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5939

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

एसडीएस के अंतर्गत सुधारों की निगरानी

†5939. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का स्वदेश दर्शन योजना (एसडीएस) के अंतर्गत त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे तंत्र में केंद्रीय निगरानी, राज्य स्तरीय समन्वय समितियां तथा डिजिटल ट्रैकिंग के साथ गंतव्य-विशिष्ट कार्यान्वयन दल शामिल होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने निधि वितरण से पूर्व पूर्व-व्यवहार्यता मूल्यांकन और परियोजना व्यवहार्यता जांच के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की है अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार ने एसडीएस के अंतर्गत पर्यटन सर्किटों के विकास और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया है अथवा अपनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): स्वदेश दर्शन 2.0 के दिशानिर्देश में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी), मिशन निदेशालय (एमडी) आदि, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित किए जाने वाले राज्य संस्थागत ढांचा और गंतव्य प्रबंधन समितियों सहित राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क शामिल है। मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में सूचना के निर्बाध संचार, साझाकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी गंतव्य विकास संबंधी योजनाओं के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) भी तैयार की है। पर्यटन मंत्रालय और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों सहित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस प्रणाली का अभिन्न अंग हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की नियुक्ति की है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन, निगरानी आदि के लिए परामर्शी सहायता के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों

को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा, डीपीआर के लिए एक मॉडल टेम्पलेट भी जारी किया गया है जिसमें परियोजना की अवधारणा और तर्कसंगतता, विस्तृत मूल्यांकन, लेआउट योजनाएं, स्थिरता मूल्यांकन और पहल, विकास संबंधी दायित्व, ओ एंड एम सेवा स्तर आदि के हिस्से शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं रखरखाव के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है और सतत संचालन और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत भागीदारों को शामिल करने की संभावना तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) योजना के भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने सुदृढ़ प्रचालन एवं प्रबंधन (ओएंडएम) के लिए पर्यटन अनुभव के विकास और प्रबंधन एजेंसी (टीईडीएमए) की अवधारणा पेश की है। इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आयोजित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से अपनी चालू परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी करता है।

*****